संख्या-11/2016/483/43-1-2016-14(35)/2008

प्रेषक,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0 प्र0 सूचना आयोग,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2016

विषय :- उ0प्र0 सूचना आयोग के निर्माणाधीन भवन में सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा कर्मियों के आर्म्स रखने हेतु कक्ष का निर्माण, वाहन चालकों को बैठने हेतु कक्ष का निर्माण, प्रत्येक मुख्य द्वार पर एक गार्डस रूम बनाये जाने तथा भवन में मा0 आयुक्तगण/अधिकारियों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो के परिप्रेक्ष्य में सी0सी0रोड आदि अतिरिक्त नये कार्य हेतु कार्यदायी संस्था की मांग के अनुसार धनराशि रू0 75.52 लाख के बजट आवंटन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-898/उ0प्र0सू0आ0/2016, दिनांक 16-3-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग कार्यालय के निर्माणाधीन भवन में सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा कर्मियों के आर्म्स रखने हेतु कक्ष का निर्माण, वाहन चालकों को बैठने हेतु कक्ष का निर्माण, प्रत्येक मुख्य द्वार पर एक गार्ड रूम बनाये जाने तथा भवन में मा0 आयुक्तगण/अधिकारियों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो के परिप्रेक्ष्य में सी0सी0रोड आदि अतिरिक्त नये कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0 75.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त कार्यो हेतु 75.52 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त करने एवं सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते मे जमा नहीं की जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी उ0प्र0 सूचना आयोग की होगी और आयोग द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत किये जा रहे इन कार्यो हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप राज्य सूचना आयोग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व राज्य सूचना आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) राजकीय निर्माण निगम द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग किए जाने पर प्रश्नगत कार्य की गुणवत्ता की पुष्टि करने के उपरान्त प्रश्नगत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये।

(11) उक्त स्वीकृत की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26-8-2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 नन्द लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या- 11 /2016/483(1)/43-1-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
8- लेखाकार, उ0प्र0 सूचना आयोग, , लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 उ0प्र0, लखनऊ।
12- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

भवेश रंजन
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।